निक्कू खान उर्फ मोहम्मदीन

बनाम

हरियाणा राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 925/2007)

21 जुलाई, 2011

[वी.एस.सिरपुरकर और टी.एस.ठाकुर, न्यायाधीशगण]

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985:

धारा 2 (ख) और (ग) - हेरोइन की वाणिज्यिक मात्रा 250 ग्राम निर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना - आरोपी के पास से बरामद हेरोइन की मात्रा 125 ग्राम है और इसकी सघनता 16.93% है। विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया और 12 साल की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया - उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि - अभिनिर्धारित: अभियुक्त को अधिनियम की धारा 21 (ख) के तहत दोषी ठहराया गया, न कि अधिनियम की धारा 21 (ग) के तहत। प्रासंगिक तिथि पर, उसके पास 125 ग्राम हेरोइन पाई गई जो अधिनियम के तहत निर्धारित वाणिज्यिक मात्रा से कम है - अधिनियम की धारा 21 (ख) के तहत अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा दस साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना है - मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आरोपी की दोषसिद्धि को

अधिनियम की धारा 21 (ग) से धारा 21 (ख) में परिवर्तित किया गया और सजा को बारह साल से घटाकर दस साल किया गया।

ई. माइकल राज बनाम खुफिया कार्यालय, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो 2008 (4) एससीआर 644 = 2008 (5) एससीसी 161 - पर भरोसा किया गया।

वाद उद्धरण संदर्भ

2008 (4) एससीआर 644 पैरा 8 पर भरोसा किया

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या-925/2007

आपराधिक अपील संख्या 698/2005 डीबी - पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के निर्णय और आदेश दिनांक 08.09.2006 से।

अपीलकर्ता की ओर से: आर.के. कपूर, नीलम खन्ना।

प्रतिवादी की ओर से: राजीव गौड़ 'नसीम' (कमल मोहन गुप्ता की ओर से)

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश सिरपुरकर द्वारा दिया गया।

1. अपीलकर्ता निक्कू खान उर्फ मोहम्मदीन, जिसे स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 21 के तहत दंडनीय अपराध के लिए नीचे की दोनों अदालतों द्वारा दोषी ठहराया गया है और बारह वर्ष के कठोर

कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है जुर्माने की राशि मे व्यतिक्रम किए जाने पर दो साल की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, जो इस अपील में हमारे सामने है।

2. अभियोजन मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 1.6.2003 को दोपहर 12.30 बजे एएसआई गोपी चंद अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ नोहर रोड, ऐलनाबाद में गश्त पर थे, जब उन्हें एक गुप्त सूचना मिली कि आरोपी - अपीलकर्ता, जो स्मैक के व्यापार में लिप्त था, एक मारुति कार में आने की संभावना थी। उसके पास से नशीला पदार्थ बरामद किया जा सकता था। यह सूचना मिलने पर एएसआई गोपी चंद ने अधिनियम की धारा 41 के तहत नोटिस जारी किया और इसे पुलिस उपाधीक्षक, ऐलनाबाद को भेज दिया। इसके बाद उन्होंने नोहर रोड पर तैनाती की। जब आरोपी मारुति कार संख्या डीएजे 4223 में आया तो उसे रोका गया और अधिनियम की धारा 50 के तहत नोटिस देने के बाद, पुलिस उपाधीक्षक, ऐलनाबाद की उपस्थिति में उसकी तलाशी ली गई और उसके पास से 740 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।

3. जांच पूरी होने के बाद आरोपी को विचारण के लिए भेजा गया और विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने माना कि अभियुक्त के पास 740 ग्राम हेरोइन पाई गई थी।

4. हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और साक्ष्यों के साथ-साथ निचली अदालतों के निर्णयों का भी अवलोकन किया है।

5. हमें नहीं लगता कि संबंधित तिथि पर अभियुक्तों से प्रतिबंधित सामग्री की बरामदगी के संबंध में कोई विवाद है। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सक्षम रहा है कि आरोपी के पास वह मादक पदार्थ था जो उसके पास से बरामद किया गया था। यह भी साबित हो गया है कि वह प्रतिबंधित पदार्थ हेरोइन थी।

6. हम विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई सजा में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। हालाँकि, जहाँ तक सजा का प्रश्न है, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आर.के. कपूर का कहना है कि सघनता का प्रतिशत 16.93% था। इसलिए, श्री कपूर बताते हैं कि अभियुक्त के पास से बरामद हेरोइन की मात्रा वस्तुतः 125 ग्राम है।

7. हमने अधिनियम की धारा 2 के तहत छोटी मात्रा और वाणिज्यिक मात्रा को निर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना देखी है, जिसमें क्रम संख्या 56 पर, हेरोइन की वाणिज्यिक मात्रा 250 ग्राम निर्धारित है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता से बरामद हेरोइन की मात्रा अधिनियम के तहत निर्धारित वाणिज्यिक मात्रा से कम थी।

8. उस दृष्टि से, ई. माइकल राज बनाम खुफिया कार्यालय, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो 2008 (5) एससीसी 161 में निर्धारित कानून वर्तमान मामले पर लागू होगा। इसलिए, हम मानते हैं कि आरोपी को अधिनियम की धारा 21 (ख) के तहत दोषी ठहराया जा सकता है, न कि धारा 21 (ग) के तहत, प्रासंगिक तिथि पर, उसके पास 125 ग्राम हेरोइन पाई गई जो अधिनियम के तहत निर्धारित वाणिज्यिक मात्रा से कम है। अधिनियम की धारा 21 (बी) के तहत अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा एक अवधि का कठोर कारावास है जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

9. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, जहां तक अपीलकर्ता की दोषसिद्धि का संबंध है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय की पुष्टि करते हुए, हम अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को अधिनियम की धारा 21 (ग) से 21 (ख) मे परिवर्तित करते है अभियुक्त की बारह साल के कठोर कारावास को घटाकर दस साल करते है। जुर्माना एवं व्यतिक्रम की सजा यथावत रहेगी।

10. अपील तदनुसार निस्तारित की जाती है।

आर.पी.

अपील निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक (विनोद कुमार उज्जैनिया) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।